Encl-2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 744457

विक्रय मूल्य	-	5,00,000/-
मालियत	-	5,60,000/-
जनरल स्टाम्प	-	39,200/-
परगना	-	काकोरी
वी-कोड	-	1109

-::विक्रय-विलेख::-

भूमि का प्रकारः	-	कृषि आराजी
परगना	-	काकोरी
ग्राम	-	चकदादनपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 744456

(2)

सम्पत्ति का विवरण	-	आराजी, भूमि खसरा नम्बर 8
मापन की इकाई	-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.0920 हेक्टेयर (शून्य दशमलव शून्य नौ दो शून्य हेक्टेयर)
सड़क की स्थिति	-	हरदोई रोड से 1 किमी. से अधिक दूर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 744455

(3)

सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि आराजी
पेड़ो का मूल्यांकन	–	4 आम के पेड़ जिनका व्यास 10–20 सेमी0 है।
बोरिंग कुआं आदि	–	नही है।
अन्य विवरण	–	लागू नही

चौहद्दी

पूरबः	–	चक रोड
पश्चिमः	–	खेत मिर्जा फजले अली खाँ
उत्तरः	–	खेत मिर्जा फजले अली खाँ
दक्षिणः	–	खेत मिर्जा फजले अली खाँ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 946585

(4)

मो0रिजवान पुत्र स्व0 मोहम्मद शब्बीर खाँ, निवासी– 12, मुगलान मोहल्ला, काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ बहैसियत मुख्तारआम मिनजानिब मिर्जा मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद हाजी हाफिज अली, निवासी– 239/51, कंघी वाली गली नक्खास, चौक, लखनऊ जो मुख्तरनामा उपनिबन्धक चतुर्थ कार्यालय लखनऊ में दिनांक 27.08.2013 को बही सं0 1 जिल्द सं0 10656 पृष्ठ सं0 199/212 के क्रमांक 12297 पर पंजीकृत है जोकि आज भी विधिमान्य है निरस्त अथवा भंग व खण्डित नही किया गया है।

......विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 946586

04 JUN

(5)

एवम्

मिर्जा काजिम अली खाँ पुत्र श्री मिर्जा अहसन अली, निवासी– ग्राम चकदादनपुर (नबी नगर) पोस्ट काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ।

..... .क्रेता

जो कि एक किता कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 8, कुल रकबा 0.0920 हेक्टेयर, स्थित ग्राम चकदादनपुर, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ जिसका कि विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिज हैं। उक्त आराजी राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 946587

व विवादों अजकिस्म रहेन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है। अब विक्रेता ने बजरूरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से विना किसी जोर दबाव नाजायज के, अपने पूर्ण होशो हवास में उसी आराजी को बिलएवज मुबलिग रूपये 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) जिसके आधे रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) होते हैं, में बदस्त क्रेताः-**मिर्जा काजिम अली खाँ** पुत्र श्री मिर्जा अहसन अली, निवासी- ग्राम चकदादनपुर (नबी नगर) पोस्ट काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ , को बय कतई किया यानी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 849402

बेच दिया और कुल विकय धनराशि अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी विक्री शुदा पर आज से बजाय अपने क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विकीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्रदारी से आराजी विक्रीशुदा क्रेता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में

Encl. 2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 572274

(8)

क्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को क्रेता कागजात सरकारी में अपने नाम दर्ज करवा लेवे कोई उज्र नहीं होगा।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसका रकबा 0.0920 हेक्टेयर है, जोकि नगर निगम सीमा के बाहर व परगना काकोरी के अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के ग्राम चकदादनपुर में स्थित है, जिसकी बाजारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा 60,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है इस प्रकार भूमि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1,000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 572275

की मालियत मु0 5,52,000/– रूपये होती है, किन्तु आराजी विक्रीशुदा में 4 आम के पेड़ है जिनका व्यास 10–20 सेमी0 है जिनकी बाजारू मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान दर मु0 2000/– रूपया प्रति पेड़ है इस प्रकार 4 पेड़ो की मालियत मु0 8000/– रूपये होती है अतः इस प्रकार आराजी विक्रीशुदा की कुल बाजारू मालियत मु0 5,60,000/– जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, क्रेता चूंकि पुरुष है, इसलिये विक्रय मूल्य पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या स0 वि0 क0 नि0 –5–2756/ 11/ 2008–500 (165) 2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत से नियमानुसार जनरल स्टाम्प शुल्क मु0 39,200/– का क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 573819

(10)

विक्रीशुदा आराजी का भू उपयोग कृषि है तथा कृषि कार्य के लिये ही क्रय विक्रय की जा रही है। आराजी विक्रीशुदा राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय रोड के किनारे स्थित नहीं है। आराजी विक्रीशुदा की 200 मीटर की परिधि में कोई आबादी नही है। आराजी विक्रीशुदा में केवल 4 आम के पड़े है। आराजी विक्रीशुदा में ट्यूबवेल, निर्माण, कुआं आदि नहीं है आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी योजना में अधिगृहीत नहीं है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। विकेता व केता का स्थाई व अस्थाई पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 573820

मुख्य सडक हरदोई रोड से 1 किमी0 से भी अधिक दूर है। कृषि आराजी विक्रीशुदा उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 अन्तर्गत धारा 80 के तहत अकृषक घोषित नही की गयी है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई बहक केता उक्त के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रीशुदा

एक किता कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 8, कुल रकबा 0.0920 हेक्टेयर, स्थित ग्राम चकदादनपुर, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 389424

(12)

<u>तफसील वसूलयाबी विक्रय धनराशि</u>

1. मु0 1,00,000/- रूपये बजरिये चेक सं0 000829 द्वारा इलाहाबाद बैंक, काकोरी, लखनऊ।

2. मु0 1,00,000/- रूपये बजरिये चेक सं0 000830 द्वारा इलाहाबाद बैंक, काकोरी, लखनऊ।

E-2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 389425

(13)

3. मु0 1,00,000/- रुपये बजरिये चेक सं0 000831 द्वारा इलाहाबाद बैंक, काकोरी, लखनऊ।

4. मु0 1,00,000/- रुपये बजरिये चेक सं0 000832 द्वारा इलाहाबाद बैंक, काकोरी, लखनऊ।

5. मु0 1,00,000/- रुपये बजरिये चेक सं0 000833 द्वारा इलाहाबाद बैंक, काकोरी, लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये चेक प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी पाना शेष नही रहा है।

लखनऊ :

दिनांक : 13.06.2018 विक्रेता

गवाह 1-मो0आमिर सिद्दीकी

एडवोकेट

पता- सिविल कोर्ट, लखनऊ।

क्रेता

गवाह 2- मिर्जा सूजा अली

पुत्र श्री मिर्जा फजले अली खाँ

पता- चकदादनपुर, नबी नगर, लखनऊ।

टाईपकर्ता

(एम0एस0निजामी)

जिला कचहरी लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मो0 आमिर सिद्दीकी)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मो0 9415756976

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मिर्जा मोहम्मद हनीफ के द्वारा मो०रिजवान, पुत्र श्री स्व० मोहम्मद शब्बीर खाँ

निवासी: 12, मुगलान मोहल्ला, काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

श्री मिर्जा काजिम अली खाँ, पुत्र श्री मिर्जा अहसन अली

निवासी: ग्राम चकदादनपुर, नबीनगर, पोस्ट काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मो०आमिर सिद्दीकी, एडवोकेट

निवासी: सिविल कोर्ट, लखनऊ

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री मिर्जा शूजा अली , पुत्र श्री मिर्जा फजले अली खाँ

निवासी: चकदादनपुर नबीनगर, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश पाठक
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
लखनऊ

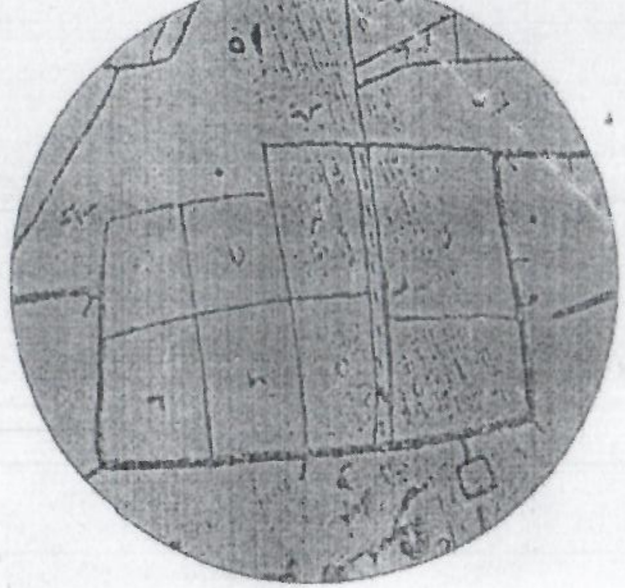

नक्शा

एक किता कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 8, स्थित ग्राम चकदादनपुर, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ।

रकबा : 0.0920 हेक्टेयर

विक्रेताः- मो0रिजवान पुत्र स्व0 मोहम्मद शब्बीर खाँ, निवासी- 12, मुगलान मोहल्ला, काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ

क्रेताः- मिर्जा काजिम अली खाँ पुत्र श्री मिर्जा अहसन अली, निवासी- ग्राम चकदादनपुर (नबी नगर) पोस्ट काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ।

चौहद्दी

पूरबः	- चक रोड
पश्चिमः	- खेत मिर्जा फजले अली खाँ
उत्तरः	- खेत मिर्जा फजले अली खाँ
दक्षिणः	- खेत मिर्जा फजले अली खाँ

विक्रेता	क्रेता

बही-संख्या 1 जिल्द संख्या 16390 के पृष्ठ 91 से 120 तक क्रमांक 8169 पर दिनाँक 13/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश पाठक
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
लखनऊ